

3-24 वकील वासी अनुपरिषत् । वासी स्वयं
अनुपरिषत् । बार . बार आवाज लगवर्ष
गई लेकिन वासी अस्सालतन / वकालत
दाजिर नही अने से पगावली का
वर्तमान स्तर पर अडम पैटनी / अडम
हाजरी में एवाजि किया जाता है।
पगावली नम्बर से कम का
आकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर है। (स्वाने गुला)

